न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

(1) अपील संख्या :-90/2018/टोंक (2018/00090)

1. रामकरण पुत्र बिरधा
2. कजोड पुत्र लादू
3. जगदीश पुत्र भैरू
4. बाबू पुत्र नाथू
5. गणपत पुत्र बिरधा
6. छीतर पुत्र कल्याण
7. कजोड पुत्र कल्याण
8. आनन्दा पुत्र लक्ष्मण

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक

अपीलांट्स

बनाम

1. गंगल्या उर्फ गंगाराम पुत्र काल्या
2. सोनी पुत्री काल्या
3. नाथी पुत्री काल्या
4. गुलाब पुत्री काल्या
5. धापू पुत्री काल्या

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरिया तहसील निवाई जिला टोंक

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय,निवाई,टोंक

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक दिनांक 08.05.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 161/2017.

उपस्थितः-

1. श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दीपक पारीक,अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1
3. श्री सुनील गर्ग, रेस्पो0 1-5

(2) अपील संख्या :-91/2018/टोंक (2018/00091)

1. रामकरण पुत्र बिरधा
2. कजोड पुत्र लादू
3. जगदीश पुत्र भैरू
4. बाबू पुत्र नाथू
5. गणपत पुत्र बिरधा
6. छीतर पुत्र कल्याण
7. कजोड पुत्र कल्याण

Signature Not Verified

Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.24 15:09:31 IST
Reason: SelfAttested

8. आनन्दा पुत्र लक्ष्मण
समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक

अपीलांट

बनाम

1. मनोहर पुत्र घांसी
2. मूलचन्द पुत्र घांसी
समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय,निवाई,टोंक

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक दिनांक 08.05.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 162/2017.

उपस्थितः-
1. श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दीपक पारीक,अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1
3. श्री सुनील गर्ग, रेस्पो01-2

(3) अपील संख्या :-92/2018/टोंक (2018/00092)

1. रामकरण पुत्र बिरधा
2. कजोड पुत्र लादू
3. जगदीश पुत्र भैरू
4. बाबू पुत्र नाथू
5. गणपत पुत्र बिरधा
6. छीतर पुत्र कल्याण
7. कजोड पुत्र कल्याण
8. आनन्दा पुत्र लक्ष्मण
समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक

अपीलांट्स

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र हरनाथ
2. छगना पुत्र हरनाथ
समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोंडेंट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.24 15:09:31 IST
Reason: SelfAttested

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान तहसीलदार,निवाई जिला टोंक दिनांक 8.05.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 16/2018.

उपस्थितः-

1. श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दीपक पारीक,अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1-2
3. श्री सुनील गर्ग, रेस्पो0 1-2

(4) अपील संख्या :-93/2018/टोंक (2018/00093)

1. रामकरण पुत्र बिरधा
2. कजोड पुत्र लादू
3. जगदीश पुत्र भैरू
4. बाबू पुत्र नाथू
5. गणपत पुत्र बिरधा
6. छीतर पुत्र कल्याण
7. कजोड पुत्र कल्याण
8. आनन्दा पुत्र लक्ष्मण

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक

अपीलांट्स

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र हरनाथ
2. छगना पुत्र हरनाथ
3. कमला पुत्री हरनाथ

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान तहसीलदार,निवाई जिला टोंक दिनांक 8.05.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 19/2018.

उपस्थितः-

1. श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दीपक पारीक,अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1-2
3. श्री सुनील गर्ग,रेस्पो01-3

5) अपील संख्या :-87/2018/टोंक (2018/00087)

1. रामकरण पुत्र बिरधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.24 15:09:31 IST
Reason: SelfAttested

2. कजोड पुत्र लादू
3. जगदीश पुत्र भैरू
4. बाबू पुत्र नाथू
5. गणपत पुत्र बिरधा
6. छीतर पुत्र कल्याण
7. कजोड पुत्र कल्याण
8. आनन्दा पुत्र लक्ष्मण

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक

अपीलांट्स

बनाम

1. गंगल्या उर्फ गंगाराम पुित्र काल्या
2. सोनी पुत्री काल्या
3. नाथी पुत्री काल्या
4. गुलाब पुत्री काल्या
5. धापू पुत्री काल्या

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरिया तहसील निवाई जिला टोंक

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय,निवाई,टोंक

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक दिनांक 08.05.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 74/2018.

उपस्थितः-

1. श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
3. श्री दीपक पारीक,अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1
4 श्री सुनील गर्ग,रेस्पो01-5

(6) अपील संख्या :-89/2018/टोंक (2018/00089)

1. रामकरण पुत्र बिरधा
2. कजोड पुत्र लादू
3. जगदीश पुत्र भैरू
4. बाबू पुत्र नाथू
5. गणपत पुत्र बिरधा
6. छीतर पुत्र कल्याण
7. कजोड पुत्र कल्याण
8. आनन्दा पुत्र लक्ष्मण

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक

अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.24 15:09:31 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

1. मनोहर पुत्र घांसी
2. मूलचन्द पुत्र घांसी
   समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय,निवाई,टोंक

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक दिनांक 08.05.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 76/2018.

उपस्थितः-

1. श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दीपक पारीक,अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1
3. श्री सुनील गर्ग,रेस्पो01-2

(7) अपील संख्या :-88/2018/टोंक (2018/00088)

1. रामकरण पुत्र बिरधा
2. कजोड पुत्र लादू
3. जगदीश पुत्र भैरू
4. बाबू पुत्र नाथू
5. गणपत पुत्र बिरधा
6. छीतर पुत्र कल्याण
7. कजोड पुत्र कल्याण
8. आनन्दा पुत्र लक्ष्मण
   समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक

अपीलांट्स

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र हरनाथ
2. छगना पुत्र हरनाथ
   समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान तहसीलदार,निवाई जिला टोंक दिनांक 8.05.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 75/2018.

उपस्थितः-

1. श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.24 15:09:31 IST
Reason: SelfAttested

2. श्री दीपक पारीक,अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1-2
3. श्री सुनील गर्ग,रेस्पो01-2

निर्णय

दिनांक :- 23.09.2020

अपीलांट ने अलग-अलग अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं चारों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने तथा कानूनी विवाद बिन्दु समान होने से चारों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक संधारित की जावे । xx

1- सातों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस (1-5 जिन्हें आगे चलकर विपक्षीगण वाद संख्या 2018/0090 व 2018/87 कहा जायेगा) द्वारा एक प्रकरण बाबत् तरमीमशीट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 6 विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 425/13 शा.न.नम्बर 426/13 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक जिसमें प्रार्थीगण ने 2 चाह निर्माण करके काबिज काश्त चले आ रहे हैं । रेस्पोडेन्टस (1-2 जिन्हें आगे चलकर विपक्षीगण वाद संख्या 2018/0091कहा जायेगा) द्वारा एक प्रकरण बाबत् तरमीमशीट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 3 विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 425/21 शा.न. नम्बर 426/21 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा व 427/6 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक जिसमें तारबंदी कर मौके पर प्रार्थिगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं । लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का खेत नहीं बना रखा है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्टस (1-2 जिन्हें आगे चलकर विपक्षीगण वाद संख्या 2018/0092 व 2018/88 कहा जायेगा) द्वारा एक प्रकरण बाबत् तरमीमशीट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 3 विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 425/6 शा.न.नम्बर 426/06 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक जिसमें तारबंदी कर मौके पर प्रार्थिगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं । इसी प्रकार रेस्पोडेन्टस (1 व 3 जिन्हें आगे चलकर विपक्षीगण वाद संख्या 2018/0093 व 2018/89 कहा जायेगा) द्वारा एक प्रकरण बाबत् तरमीमशीट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 4 विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 424/8 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 427/02 रकबा 02 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 05 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सूरिया,तहसील निवाई,जिला टोंक जिसमें तारबंदी कर मौके पर प्रार्थिगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.24 15:09:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व नक्शाशीट में तरमीम नहीं हो रखी है जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि कौनसा खातेदार किस स्थान पर कब्जे काश्त में है । अतः तरमीम/पत्थरगढी का अधीनस्थ न्यायालय में अनुतोष चाहा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत शिविर 2018 के तहत दिनांक 08.05.2018 को एकतरफा बहस सुनते हुए विपक्षीगण का प्रकरण स्वीकार कर विवादित आराजीयात के सपुर्दगीनामा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर तहसीलदार जी निवाई को तरमीम करने के आदेश पारित कर दिये गये जिसे बाद में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा सुपुर्दगीनामा व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर कब्जे के आधार अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश पारित कर दिये जबकि विपक्षीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एंव विवादित आराजी बाबत् पक्षकारों के मध्य नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है इसलिए विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई के आक्षेपित आदेश दिनांक 08.05.2018 की पालना में एकतरफा कार्यवाही एवं आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार मुर्तिब नहीं किये जाने/अपीलांटस को नहीं सुने जाने/विवादित खसरा नम्बर बाबत् पक्षकारों के मध्य नियमित राजस्व वाद विचाराधीन में अभी पक्षकारों के हक व अधिकारों का निर्धारण होना शेष होने से ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था लेकिन विपक्षीगण द्वारा उक्त तथ्य छिपाकर अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय एंव एक कार्यालय आदेश क्रमांक राजस्व/18/3380 दिनांक 11.10.18 पारित कर कराया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है । विपक्षीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण के उनवान में वाद बाबत् तरमीमशीट अंकित किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के साथ कोई डिक्री नहीं बनाई गई है एंव ना ही पारित निर्णय वादनिर्णय वाद के अनुसार किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रार्थीगण को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदार हैं अतः पक्षकारों के मध्य नियमित राजस्व विवाद विचाराधीन है जिनमें पक्षकारों के हक व अधिकारों का निर्धारण होना शेष है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं और आक्षेपित निर्णय से प्रार्थीगण पूर्णतया प्रभावित हैं इसलिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है । चूंकि प्रकरण का विचारण प्रार्थना पत्र धारा 131,132 व 136 एवं 128 भू राजस्व अधिनियम के अनुसार कर निर्णय पारित किया है ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुति का अधिकार माननीय न्यायालय में निहित है । मूल अपील को पेश करने की अनुमति बाबत् एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी व अपील को निर्धारित समयावधि में पेश नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी मूल अपील के साथ पेश की जा रही है ।

2- अपील Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत रेस्पोडेन्ट के विद्वान वकील द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी को सुना जाकर निर्णय करनें एंव तदुपरान्त अपील पर बहस सुनने का निवेदन किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.24 15:09:31 IST
Reason: SelfAttested

3- सर्वप्रथम अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा सीपीसी एक्ट की धारा–96 प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए फर्द दस्तावेज सूची के साथ जमाबन्दी व अन्य रिकार्ड प्रस्तुत कर रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रार्थीगण को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदार हैं अतः पक्षकारों के मध्य नियमित राजस्व विवाद विचाराधीन है जिनमें पक्षकारों के हक व अधिकारों का निर्धारण होना शेष है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं और आक्षेपित निर्णय से प्रार्थीगण पूर्णतया प्रभावित हैं इसलिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है मुख्यत इन प्रकरणों में खसरा संख्या 424,425,426 व 427 व इनके उपभागों में तरमीम चाही गई उक्त प्रकरण बिना तहसीलदार को तामिल करवाई गई और ना मौका की स्थिति तलब की गई एंव लोक अदालत में फैसला कर दिया गया रेस्पोडेन्ट्स ने जिन खसरों खसरा न0 425/21,426/21,427/6,424/8,427/2,425/13 एंव 426/13 में तरमीम चाही गई उनके आस पास के अपीलांटस के खसरा नम्बर 426/541,427/7,425/8,426/8,427/3 हैं जिनके अपीलांटस रेकार्डेड खातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने के बाबजूद रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया जिसके कारण हमारे पक्ष को सुने बिना निर्णय पारित हुआ जो अनुचित है तथा अधीनस्थ न्यायालय का फैसला नोन स्पीकिंग है चूंकि अपीलांटस हितबद्ध है जिसे बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये कोई भी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । अतः अनुमति दिये जाने पर विचार किये जाने का निवेदन किया कि अपीलांट का मौके पर कब्जा है अतः मुझे सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए ताकि उपखण्ड अधिकारी निवाई, टोंक के निर्णय दिनांक 08.05.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे जिससे प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सके अतः प्रार्थना धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे। xx

4- रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के जबाव में फर्द दस्तावेज सूची के साथ जमाबन्दी व अन्य रिकार्ड प्रस्तुत कर रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के द्वारा स्वंय को आवंटित भूमि के संबंध में ही इन सभी प्रकरणों में आदेश प्राप्त किये गये हैं जिन खसरों में हमने राहत चाही है उसी खसरों में हम एकल काश्तकार है जिनके प्रमाण में जमाबंदियां पेश रिकार्ड है हम किसी के संयुक्त कब्जे में नहीं है । अतः अपीलांटस को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता भी नहीं थी खसरा नम्बर 424,425,426 व 427 सभी बडे रकबे के खसरे में और इन्हीं खसरों में विधिक रूप से हमें भूमि का आवंटन हुआ है जिसपर आवंटन समय जो भूमि सुपुदर्गी में दी गई तथा सुपुदर्गीनाम दर्ज है उसी भूमि पर हम काबीज है । हमने सुपुर्दगीनामा की नकल हेतु आवेदन करने पर सुपुदर्गीनामे की अनुपलब्धता की रिपोर्ट के पश्चात् हम वास्तविक कब्जे के आधार पर तरमीम करवाया गया तथा धारा 128 की प्रार्थना पत्र पर तारबंदी की गई है । माननीय अधीनस्थ न्यायालय के फैसलें में क्या विधि विरूद्ध है यह अपीलांटस द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है इस संबंध में किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.24 15:09:31 IST
Reason: SelfAttested

की दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किये गये हैं ना ही गवाह प्रस्तुत किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अपीलांटस खातेदार अथवा कब्जा काश्त हो,ना ही अपीलांटस द्वारा अपील मीमों में यह अंकित किया गया है कि वह कौन से खसरा नम्बर पर खातेदार अथवा रिकार्डेड खातेदार है जमाबंदी का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे केवल खसरा संख्या 427/6 एंव 427/2 ही आंशिक प्रभावित माने जा सकते हैं किन्तु अपीलांट द्वारा निर्णय में उनकी कब्जे काश्त की कितना क्षेत्रफल प्रभावित हुआ इसके संबंध में कोई भी तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलांटस धारा 136 अथवा धारा 128 के तहत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय से कोई राहत प्राप्त की उरज नहीं रखता ना ही उनके निर्णय को चुनौती देने का हक अपीलांट को प्राप्त हो सकता है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी खारिज फरमाया जावे । xx

5- हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियमत की धारा 96 के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षीय की सुनी बहस का मनन, मूल अपील एंवम् प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय का अवलोकन किया बाद अवलोकन यह तथ्य सामने आया कि अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 में यह माना है कि कि अपीलांट्स(वर्तमान रेस्पोडेन्टस) रेकार्डेड खसरा न0 425,426 में कुल 22 आंवटी है व खसरा नम्बर 427 में 4 आंवटी व 427/4 रकबा 2 बीघा सिवायचक भूमि,427/1 रकबा 25.04 बिस्वा चारागाह दर्ज है । तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट एंव अपीलांटस अभिभाषक द्वारा फर्द दस्तावेज के साथ पेश जमाबंदी व रिकार्ड से यह साबित होता है कि अपीलांटस विवादित आराजीयात के रिकार्डेड काश्तकार हैं । खसरा संख्या 424,425,426 व 427 बहुत बडे खसरे हैं इनके विभाजन स्वरूप ही उक्तानुसार खसरों का विभाजन कर भूमि का आंवटन किया गया है जिसपर अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस रिकार्डेड है किन्तु नक्शें पर तरमीम केवल रेस्पोडेन्टस के खसरा नम्बर के आदेश किये गये हैं जबकि इस स्थिति में वर्तमान अपीलांटस के खसरा नम्बरों के रिकार्डेड काश्तकार होने के कारण उनको आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर तरमीम/पत्थरगढी के आदेश दिये जाने चाहिए थे । अतः प्राकृतिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांटस के प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 96 को स्वीकार कर मूल अपील सुनवाई करते हुए पर गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय किया जाना उचित समझते हैं । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 स्वीकार किया जाता है। xx

6- तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अपीलांट अभिभाषक ने मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा में आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है इसलिए प्रार्थीगण को आक्षेपित निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं हो सकी थी। विपक्षीगण द्वारा आक्षेपित निर्णय की दिनांक 30.10.2018

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.24 15:09:31 IST
Reason: SelfAttested

को जब मौके पर आकर नाप चौप करवाई जाने लगी तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी में दखल मजाहमत उत्पन्न की गई तब प्रार्थीगण को आपेक्षित निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर प्रार्थीगण ने अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया जिनके द्वारा दिनांक 01.11.2018 को उक्त बाबत् एक प्रार्थना पत्र विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर कोई नहीं होने पर अभिभाषक द्वारा आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की कानूनी सलाह प्रदान की जिस पर अपीलांटस ने दिनांक 13.11.2018 को आक्षेपित निर्णय व आवश्यक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 16.11.2018 को प्राप्त हुई इस कारण निर्णय दिनांक 08.05.2018 की नकलें दिनांक 16.11.2018 को मिलने तक का समय क्षम्य योग्य होने से कण्डोन किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर तय किये जाने का निवेदन किया । रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने अपीलांटस की बहस के क्रम में निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा विलम्ब से अपील प्रस्तुत की अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार फरमाया जावे । xx

7- प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया अपीलांट ने विलम्ब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एंव सद्भाविक प्रतीत होते हैं। मियाद के बिन्दु पर प्रकरण का अंतिम रूप से विनिश्चियन नहीं किया जा सकता अतः हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः अपील में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। xx

8- उभयपक्ष अभिभाषक की मूल अपील पर बहस सुनी गई । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा ने अपनी बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई टोंक के समक्ष दिनांक 13.03.2018 को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के 4 प्रकरण दर्ज किये गये जो विचाराधीन थे इसी बीच 03 प्रकरण इसी अधिनियम की धारा 128 के पेश किये गये इन सभी 07 प्रकरणों का फैसला एक साथ दिनांक 08.05.2018 को विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई टोंक द्वारा राजस्व लोक अदालत में कर दिया गया इन सभी प्रकरणों में राज्य सरकार जरिये तहसीलदार के विरूद्ध पेश किया अर्थात केवल राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया अपीलांट को नहीं मुख्यत इन प्रकरणों में खसरा संख्या 424,425,426 व 427 व इनके उपभागों में तरमीम चाही गई उक्त प्रकरण बिना तहसीलदार को तामिल करवाई गई और ना मौका की स्थिति तलब की गई एंव लोक अदालत में फैसला कर दिया गया जिन खसरों में तरमीम चाही गई उनके आस पास के अपीलांटस के खसरा नम्बर 426/541,427/7,425/8,426/8,427/3 हैं जिनमें अपीलांटस रिकार्डेड खातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार थे एंव किन्तु हमें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया जिसके कारण हमारे पक्ष को सुने बिना निर्णय पारित हुआ जो अनुचित एंव नोन स्पीकिंग है चूंकि अपीलांटस हितबद्ध है जिसे बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये कोई भी निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.24 15:09:31 IST
Reason: SelfAttested

पारित नहीं किया जा सकता अतः विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई टोंक द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया जावे । xx

9- रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के जबाव में कथन किया अप्रार्थी के द्वारा स्वंय को आवंटित भूमि के संबंध में ही इन सभी प्रकरणों में आदेश प्राप्त किये गये हैं जिन खसरों में हमने राहत चाही है उसी खसरों में हम एकल काश्तकार है जिनके प्रमाण में जमाबंदियां पेश रिकार्ड है हम किसी के संयुक्त कब्जे में नहीं है अतः अपीलांटस को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता भी नहीं थी खसरा नम्बर 424,425,426 व 427 सभी बडे रकबे के खसरे में और इन्हीं खसरों में विधिक रूप से हमें भूमि का आवंटन हुआ है जिसपर आवंटन समय जो भूमि सुपुदर्गी में दी गई तथा सुपुदर्गीनाम दर्ज है उसी भूमि पर हम काबीज है । हमने सुपुर्दर्गीनामा की नकल हेतु आवेदन करने पर सुपुदर्गीनामे की अनुपलब्धता की रिपोर्ट के पश्चात् हम वास्तविक कब्जे के आधार पर तरमीम करवाया गया तथा धारा 128 की प्रार्थना पत्र पर तारबंदी की गई है । माननीय अधीनस्थ न्यायालय के फैसलें में क्या विधि विरूद्ध है यह अपीलांटस द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है ना ही इस संबंध में किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किये गये हैं ना ही गवाह प्रस्तुत किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अपीलांटस खातेदार अथवा कब्जा काश्त हो ना ही अपीलांटस द्वारा अपील मीमों में यह अंकित किया गया है कि वह कौन से खसरा नम्बर पर खातेदार अथवा सहखातेदार है ना ही कोई जमाबंदी का साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है । स्पष्ट है कि अपीलांटस धारा 136 अथवा धारा 128 के तहत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय से कोई राहत प्राप्त की उरज नहीं रखता ना ही उनके निर्णय को चुनौती देने का हक अपीलांट को प्राप्त हो सकता है । अतः अपीलांटस अपील खारिज फरमाई जावे । xx

10- हमने उभय पक्ष के अभिभाषक की अपील मीमों में उल्लेखित तथ्य एंव बहस को ध्यानपूर्वक सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख व अदालत हाजा की पत्रावली का अवलोकन करते हुए गंभीरता से इनपर मनन किया । उक्त प्रकरण में खसरा संख्या 425,426,427 बहुत बडे रकबे का है जिनमें विधिक रूप से रेस्पोडेन्टस व अन्य को भूमि का आवंटन हुआ है किन्तु नक्शे पर तरमीम नहीं होने से आवंटन समय जो भूमि सुपुदर्गी में दी गई तथा सुपुदर्गीनामा दर्ज है उसी भूमि पर जहां तहां वह काबिज काश्त कर रहे है जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 में यह माना है कि कि अपीलांटस(वर्तमान रेस्पोडेन्टस) रेकार्डेड खसरा न0 425,426 में कुल 22 आंवटी है व खसरा नम्बर 427 में 4 आंवटी व 427/4 रकबा 2 बीघा सिवायचक भूमि,427/1 रकबा 25.04 बिस्वा चारागाह दर्ज है । तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट एंव अपीलांटस अभिभाषक द्वारा फर्द दस्तावेज के साथ पेश जमाबंदी व रिकार्ड से यह साबित होता है कि अपीलांटस विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड काश्तकार हैं । बडे खसरों का विभाजन कर भूमि का आंवटन किया गया है जिसपर अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस रिकार्डे है किन्तु नक्शे पर तरमीम केवल रेस्पोडेन्टस के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.24 15:09:31 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर के आदेश किये गये हैं जबकि इस स्थिति में वर्तमान अपीलांटस के खसरा नम्बरों के रिकार्डेड काश्तकार होने के कारण उनको भी मौके पर शामिल कर तरमीम/पत्थरगढी कराई जानी थी । किन्तु यहां इन प्रश्नों/बिन्दुओं का उत्तर देखा जाना आवश्यक है :-

1.क्या उक्त बडे खसरों के भाग जिन्है भूमि आवंटित की गई है समस्त का नक्शा तरमीम हुआ है अथवा किसी किसी का तरमीम किया जाना शेष है ?

2.क्या अपीलांट को आवंटित कब्जा काश्त भूमि का कोई खसरा रेस्पोडेन्ट के नक्शों की तरमीम एंव पत्थरगढी से प्रभावित हुआ है यदि हां तो किस प्रकार से एंव कितना प्रभावित होगा ?

3.क्या अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि विधिक रूप से आवंटित है अथवा अतिक्रमी है जैसा कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र 1.11.2018 के बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित है कि खसरा नम्बर 424,425,426,427 अर्सा दराज से संयुक्त रूप से कब्जे में चल रहे है उपरोक्त भूमि में तथ्य यह है कि आवंटन भूमि एक व्यक्ति के नाम से है जबकि कब्जा अन्य लोगों के पास है जो अर्सा दराज से बुजुर्गों के समय से काबिज चले आ रहे है ?

4.उक्त प्रकरण में खसरा संख्या 425,426,427 बहुत बडे रकबे का है जिनमें विधिक रूप से रेस्पोडेन्टस/अपीलांटस व अन्य को भूमि का आवंटन हुआ है क्या उनके द्वारा आवंटन से अधिक भूमि पर कब्जा काश्त तो नहीं है जिसे हटाया जाना है ?

5.कब्जे के आधार पर तरमीम की स्थिति नक्शा व रिकार्ड में निरन्तरता का ध्यान भी रखा गया है अथवा नहीं क्योंकि खसरा 427/7 खसरा संख्या 427/6 की सीमा से जुडा होगा उसके दुरस्त नहीं इसी प्रकार 427/3 खसरा संख्या 427/2 की सीमा से जुडा होगा उसके दुरस्त नहीं ?

6.क्या अपीलांटस का कोई वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.11.2018 प्रस्तुत किया हुआ है जिसका निस्तारण शेष है ?

समग्र रूप से दृष्टिगोचर होता है कि जब तक उक्त प्रश्नों/बिन्दुओं के जबाव नहीं खोजे जाते तब तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार किसी भी पक्षकार को न्याय नहीं मिल सकता इस स्थिति में नक्शे में तरमीम की मांग पर विद्धान उपखण्ड अधिकारी निवाई टोंक द्वारा राजस्व लोक अदालत शिविर 2018 के तहत दिनांक 08.05.2018 को एकतरफा बहस सुनते हुए विपक्षीगण का प्रकरण स्वीकार कर विवादित आराजीयात के सपुर्दगीनामा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर तहसीलदार जी निवाई को तरमीम करने के आदेश पारित कर दिये गये जिसे बाद में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा सुपुर्दगीनामा व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर कब्जे के आधार अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश पारित कर दिये जिसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी निवाई को प्रेषित पत्र का पत्रांक 7215 दिनांक 24.05.18 एंव तहसीलदार के पत्रांक 05.06.18 की अनुपालना में गिरदावर व 19.06.18 पटवारी रिपोर्ट व अन्य प्रस्तुत साक्ष्य विधिसम्मत सिद्ध पाये जाते हैं ऐसे में रेस्पोडेन्टस के नाम राजस्व रिकार्ड (नक्शा तरमीम)में दर्ज किये जाने का आदेश जारी किया जाने का निर्णय में अपीलांटस को बिना सुनवाई का अवसर नहीं दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.24 15:09:31 IST
Reason: SelfAttested

गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रकरण में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के अनुसार उपरोक्त प्रश्नों/बिन्दुओं पर उभयपक्षों की सुनवाई कर उनके द्वारा पेश साक्ष्यों का विवेचन विश्लेषण कर निर्णय किया जाना उचित होगा । विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई टोंक का निर्णय अतः उपरोक्त विचेचन के कम में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.05.2018 अपास्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) किये जाने योग्य पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त पर मौके की जांच स्थिति व साक्ष्य लिया जाकर उभय पक्ष के साथ साथ उक्त खसरान में सभी प्रभावित अन्य रिकार्डेड काश्तकारों को भी सुनवाई का अवसर दिया जाकर युक्तियुक्त एंव विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।xx

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार उपखण्ड अधिकारी, निवाई,टोंक के निर्णय दिनांक 08.05.2018 के विरूद्ध धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील संख्या **अपील संख्या :- 87/2018/टोंक (2018/00087) व 90/2018/टोंक (2018/00090) बउनवानी रामकरण बनाम गंगल्या, अपील संख्याः-89/2018/टोंक(2018/00089)व 91/2018/टोंक (2018/00091) बउनवानी रामकरण बनाम मनोहर, अपील संख्या :- 88/2018/टोंक (2018/00088),92/2018/टोंक(2018/00092) व अपील संख्या :-93/2018/टोंक (2018/00093) बउनवानी बउनवानी रामकरण बनाम प्रहलाद** में प्रस्तुत अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 74/2018 ,161/2017 बउनवान गंगल्या उर्फ गंगाराम बनाम राज्य सरकार, 76/2018,162/2017 बउनवान मनोहर बनाम राज्य सरकार, 75/2018,16/2018 व 19/2018 बउनवान प्रहलाद बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2018 को अपास्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) किये जाने योग्य पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय इस निर्णय के पैरा 10 में अंकित प्रश्नों/बिन्दुओं पर मौके की जांच/रेकार्ड स्थिति व साक्ष्य लिया जाकर उभय पक्ष के साथ साथ उक्त खसरान में सभी प्रभावित अन्य रिकार्डेड काश्तकारों को भी सुनवाई का अवसर दिया जाकर युक्तियुक्त एंव विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक संधारित की जावे।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 23.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.09.24 15:09:31 IST
Reason: SelfAttested